



बाह्य परिपत्र संख्या 88 /डॉस- 06 /2024
संदर्भ.सं.राबैं.प्रका.डॉस.पॉलिसी/ 647 /जे-1/2024-2025

10 मई 2024

अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

पूंजी प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट

जैसा कि आप जानते हैं, एक मजबूत नियामक ढांचे के साथ-साथ एक प्रभावी पूंजी नियोजन आवश्यक है, जो बैंकों को तनावपूर्ण परिदृश्यों से निपटते हुए अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी की उचित मात्रा, प्रकार और संरचना का पता लगाने में सक्षम बनाता है। पूंजी नियोजन की मजबूती के संबंध में वैश्विक वित्तीय संकट से मिले सबक पर विचार करते हुए, बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) एक मजबूत पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण चार प्रमुख घटकों की रूपरेखा तैयार करती है: (i) आंतरिक नियंत्रण और शासन, (ii) पूंजी नीति और जोखिम मूल्यांकन, (iii) दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य, और (iv) पूंजी संरक्षण के लिए प्रबंधन ढांचा।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में बैंकिंग प्रणाली के सामने आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कई कदम उठा रहा है। बेसल मानदंडों के आधार पर, आरबीआई ने वर्ष 1998 में भारतीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड भी जारी किए और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) द्वारा मापी गई न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता की गणना बेसल-1 के तहत परिसंपत्तियों के मानकीकृत जोखिम भार के उपयोग के आधार पर 9% है।

3. चूंकि आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात केवल नियामक न्यूनतम स्तर है, इसलिए बैंकों के लिए (i) जोखिमों के कुछ कम अनुमान की संभावना और (ii) किसी बैंक का वास्तविक जोखिम अनावरण और उसके जोखिम प्रबंधन ढांचे की गुणवत्ता की तुलना में अतिरिक्त पूंजी रखना आवश्यक हो सकता है। नतीजतन, पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए अपने जोखिमों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए अधिक प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अपनाना और लागू करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 6812 0039 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org

गांव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

4. नाबार्ड ने विभेदित दृष्टिकोण के आधार पर बैंकों के एक समूह के लिए 01 अप्रैल 2023 से एनहैन्स्ड-कैमेलएससी (ई-कैमेलएससी) आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण पेश किया है। बैंकिंग उद्योग में जोखिम प्रोफाइलिंग के बदलते परिदृश्य के अनुरूप, ई-कैमेलएससी आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग पर्यवेक्षित संस्थाओं के प्रमुख मूल्यांकन के लिए एक दूरदर्शी, जोखिम उन्मुख और डेटा संचालित दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस संबंध में, ई-कैमेलएससी आधारित दृष्टिकोण पर मार्गदर्शी नोट आरसीबी और आरआरबी को क्रमशः परिपत्र संख्या ईसी.नंबर.105/डीओएस-27/2023 और ईसी. नंबर.106/डीओएस-27/2023 दिनांक 02 जून 2023 के माध्यम से जारी किए गए हैं। ई-कैमेलएससी आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की शुरुआत गतिशील बैंकिंग परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों पर जोर देती है।

5. ई-कैमेलएससी मॉडल में सात (7) प्रमुख कारक शामिल हैं, यानी, पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, कमाई, तरलता, सिस्टम एवं नियंत्रण और अनुपालन। इनमें से प्रत्येक पैरामीटर में कई मात्रात्मक उप-पैरामीटर के साथ-साथ गुणात्मक मूल्य विवरण भी शामिल हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि 'पूंजी पर्याप्तता' पहलू, जो अनिवार्य करता है कि बैंक पूंजी प्रबंधन नीति स्थापित करें, साथ ही पूंजी के प्रबंधन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं भी स्थापित करें। बैंकों को अब शेयरधारकों की रिटर्न अपेक्षाओं को पूरा करने और इष्टतम व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए इक्विटी पूंजी के प्रबंधन और कुशलतापूर्वक उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, अपनी पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, पूंजी प्रबंधन पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई और तदनुसार इक्विटी पूंजी के प्रबंधन और कुशलतापूर्वक उपयोग के महत्व पर जोर देते हुए पूंजी प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट जारी किया जा रहा है।

6. पूंजी प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट का उद्देश्य एसई को एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से पूंजी के स्तर का प्रबंधन करने और ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी भंडार बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मार्गदर्शी नोट में व्यापक पूंजी प्रबंधन नीति, बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, पूंजी नियोजन प्रक्रिया, पूंजी प्रबंधन के आसपास आंतरिक नियंत्रण पर मार्गदर्शन शामिल है।

7. एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर एक व्यापक पूंजी प्रबंधन नीति अपरिहार्य है, जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल का समर्थन करने के लिए इष्टतम पूंजी स्तर निर्धारित करने में सहायता करती है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे पूंजी प्रबंधन नीति विकसित करें और पूंजी स्तर को अपने जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के अनुरूप बनाए रखें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूंजी प्रबंधन नीति का परिणाम भविष्योन्मुखी हो (अर्थात् न्यूनतम 3-वर्षीय अनुमानों पर विचार करता हो) न कि स्थिर पूंजी लक्ष्य। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूंजी प्रबंधन नीति में निम्नलिखित शामिल हों:

- (ए) एक व्यवसाय योजना और अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन.
(बी) व्यवसाय और परिचालन वातावरण के लिए सभी भौतिक जोखिम और संभावित भेद्यता.
(सी) सौम्य और प्रतिकूल भविष्योन्मुखी वातावरण में पूंजी की आवश्यकताएं; और प्रतिकूल परिस्थितियों में पूंजी की मांग में किसी भी वृद्धि को पूरा करने में मदद करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में पूंजी बफर पर विचार करता है.
(डी) कठोर तनाव-परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण जो संभावित घटनाओं या बाजार स्थितियों में बदलाव की पहचान करता है जो बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है; और
(ई) तनाव परीक्षणों और विश्लेषणों के परिणामों को, जहां लागू हो, पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन में शामिल किया जाता है.

8. हम सलाह देते हैं कि सभी आरआरबी, सभी अनुसूचित एसटीसीबी और अन्य एसई जिनके पास 31 मार्च 2024 तक रु. 3000 करोड़ का व्यवसाय आकार हो, उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर उसी तारीख से उन्हें ई-कैमलएससी आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से गुजरना होगा. शेष बैंकों को चरणबद्ध तरीके से ई-कैमलएससी दृष्टिकोण के तहत लाया जाएगा. ई-कैमलएससी आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के तहत आने वाले एसई को 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी और मजबूत पूंजी प्रबंधन स्थापित करने की सलाह दी जाती है.

9. शेष बैंकों को 31 मार्च 2025 तक प्रभावी पूंजी प्रबंधन ढांचा तैयार करने की सलाह दी जाती है.

10. हमें खुशी होगी यदि आप इस परिपत्र की एक प्रति अपने बैंक के निदेशक मंडल की अगली बैठक में रखेंगे ताकि आपके बैंक में दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर उचित निर्णय लिया जा सके.

11. कृपया अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें.

भवदीय

ह/-

(सुधीर कुमार रॉय)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: मार्गदर्शी नोट

मुख्य दस्तावेज़

दस्तावेज़ का शीर्षक	पूंजी प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट
ड्राफ्ट तैयार करने वाला विभाग	पर्यवेक्षण विभाग
अनुमोदन की तिथि	26 मार्च 2024
दस्तावेज़ का वर्गीकरण	बाह्य
दस्तावेज़ संख्या / संस्करण संख्या	1.0

संस्करण का इतिहास

संस्करण सं.	वि.व	संशोधन/टिप्पणियाँ	संशोधनकर्ता
1.0	2024-25	नवीन	-

संस्करण का अनुमोदन

संस्करण सं.	अनुमोदन की तिथि	संशोधन/टिप्पणियाँ	अनुमोदनकर्ता
1.0	2024-25	नवीन	पर्यवेक्षण निदेशक मंडल

पूँजी प्रबंधन पर
मार्गदर्शी नोट



विषयसूची

1. सामान्य विवरण	1
2. उद्देश्य	1
3. पूंजी प्रबंधन नीति	1
4. सामान्य आवश्यकताएँ.....	3
5. वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की भूमिकाएँ और दायित्व	5
6. आंतरिक सीमाओं का विकास एवं प्रसार.....	7
7. पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क का विकास.....	9
7.1 पूंजी बजटिंग.....	10
7.2 पूंजी नियोजन.....	10
7.3 पूंजी पर्याप्तता	11
8. आंतरिक नियंत्रण एवं अभिशासन	12

पर्यवेक्षी संस्थाओं हेतु पूंजी प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट

1. सामान्य विवरण

2008 के वित्तीय संकट से लिया गया एक महत्वपूर्ण सबक बैंकिंग संस्थानों ("बैंकों") के लिए प्रयुक्त पूंजी योजना और प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पूंजी प्रबंधन में पर्याप्त पूंजी स्तर को बनाए रखने, आंतरिक पूंजी निर्भरता का मूल्यांकन करने और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना करने के लिए बैंकों द्वारा उपायों का कार्यान्वयन शामिल है। बैंकों के लिए इस अनुपात की गणना करना और जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त पूंजी प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे एक मजबूत पूंजी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। यह दृष्टिकोण बैंक के संचालन के लचीलेपन और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. उद्देश्य

यह मार्गदर्शन नोट बैंकों के लिए अपनी पूंजी आयोजना और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करता है। इन प्रथाओं का पालन करने से बैंकों को वैधानिक पूंजी आवश्यकताओं के उल्लंघन को रोकने और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं के लिए तैयारी करने में सहायता मिल सकती है। इन दिशानिर्देशों को लागू करके, बैंक अपने पूंजी अनुपात में किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन, जैसे कि नियामक या आंतरिक सीमा से नीचे गिरना, को तुरंत और कुशलता से संबोधित कर सकते हैं।

3. पूंजी प्रबंधन नीति

बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के बीच पूंजी प्रबंधन नीति एक अत्यंत महत्वपूर्ण लिखित समझौते के रूप में कार्य करती है, जो संस्था के पूंजी संसाधनों के प्रभावी उपयोग, आवंटन और निरीक्षण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करती है।

इस नीति के लिए बैंक के बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसे बैंक की पूंजी नियोजन प्रक्रियाओं के मूलभूत तत्वों को शामिल करते हुए एक विशिष्ट, व्यापक दस्तावेज़ के रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। इसके अलावा, इसे जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल और परिचालन मैनुअल जैसी अन्य उपयुक्त नीतियों के साथ जुड़ना चाहिए एवं उनसे समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

बैंकों द्वारा पूंजी प्रबंधन नीति का उपयोग पूंजी नियोजन, जारी करने, उपयोगिता और वितरण के लिए किया जाता है। इसमें आंतरिक पूंजी लक्ष्य, संभावित पूंजी की कमी को दूर करने के लिए रणनीतियाँ और पूंजी प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए आंतरिक शासन प्रक्रियाएं शामिल होने चाहिए।

विस्तार से, नीति में उन तंत्रों की रूपरेखा होनी चाहिए जिनके माध्यम से बैंक पूंजी नियोजन के सभी पक्षों का पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और निर्णय लेता है। इसके अतिरिक्त, इसे निर्णय निर्माताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को वर्णित करना चाहिए, एक सुदृढ़ प्रक्रिया और डेटा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, और बैंक की पूंजी योजना की सामग्री के लिए अपेक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए।

नीति में पूंजी स्तर और संरचना के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, पूंजी प्रबंधन में बैंक के उद्देश्यों और विशेष रूप से दबाव अवधि के दौरान एक लचीली पूंजी स्थिति बनाए रखने के साथ इसके संरेखण को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

नीति को इस विषय पर सुस्पष्टता दर्शित प्रदर्शित करनी चाहिए कि प्रबंधन बैंक के उद्देश्यों और व्यवसाय मॉडल की तुलना में पूंजी अनुपात की उपयुक्तता, स्थिरता और निरंतरता का पता किस प्रकार लगाया जाता है। इसमें पूंजी मेट्रिक्स भी निर्धारित होने चाहिए जिनकी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड को नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए।

संपूर्ण और व्यापक पूंजी प्रबंधन नीति एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे का अभिन्न स्तंभ बनती है, जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल को पर्याप्त रूप से समर्थन देने के लिए आवश्यक इष्टतम पूंजी स्तर निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है।

पूंजी प्रबंधन नीति की सामग्री

बैंकों द्वारा पूंजी प्रबंधन नीति विकसित करनी चाहिए जो बैंक की गतिविधियों की प्रकृति, आकार, जटिलता और पैमाने के अनुरूप हो और इसमें निम्नलिखित मामलों पर स्पष्ट विवरण शामिल हों:

1. पूंजी प्रबंधन के संबंध में बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।
2. बैंक की जोखिम क्षमता विवरण और पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य।
3. पूंजी प्रबंधन से संबंधित संगठनात्मक ढांचे।
4. पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की प्रक्रिया।
5. आंतरिक और विनियामक पूंजी सीमाएं।

6. पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना.
7. पूंजी पर्याप्तता के स्तरों का आकलन, निगरानी और नियंत्रण.
8. पूंजी के लक्ष्य के उल्लंघन होने की स्थिति में बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.
9. पूंजी आवंटन प्रक्रिया पर नीति.
10. पूंजीगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों में संशोधन हेतु बोर्ड स्तर पर चर्चा की प्रक्रिया.

4. सामान्य आवश्यकताएँ

4.1 पूंजी प्रबंधन बोर्ड-अनुमोदित प्रक्रिया होनी चाहिए

पूंजी प्रबंधन के डिजाइन और कार्यान्वयन की अंतिम जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की है. बैंक की पूंजी प्रबंधन नीति की संरचना, डिजाइन और सामग्री को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूंजी प्रबंधन बैंक की प्रबंधन प्रक्रिया और निर्णय लेने की संस्कृति का एक अभिन्न अंग हो चूँकि, एक ठोस जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रदान करती है कि बैंक पर्याप्त पूंजी बनाए रखता है, इसके निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक के पास एक उचित रणनीतिक योजना है, जो कम से कम, बैंक की विधिवत रूपरेखा तैयार करेगी:

- क. वर्तमान और भविष्य की पूंजी की जरूरतें
- ख. प्रत्याशित पूंजीगत व्यय
- ग. पूंजी का वांछित स्तर

4.2 बोर्ड को पूंजी प्रबंधन के परिणाम प्रस्तुत करना

चूँकि पूंजी प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, पूंजी प्रबंधन के परिणाम पर एक लिखित रिकॉर्ड समय-समय पर बैंकों द्वारा अपने निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इसकी पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक मूल्यांकन के ऐसे लिखित रिकॉर्ड में, अन्य बातों के अलावा, पहचाने गए जोखिम, उन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन का तरीका, बैंक की पूंजी की स्थिति पर बैंक के बदलते जोखिम प्रोफाइल का प्रभाव, दबाव परीक्षणों का विवरण/ परिदृश्य विश्लेषण और परिणामी पूंजी आवश्यकताएं शामिल होने चाहिए. निदेशक मंडल को भौतिक जोखिम के स्तर और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत रिपोर्ट होनी चाहिए, चाहे बैंक जोखिम के खिलाफ पर्याप्त पूंजी रखता हो और अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होने पर, पूंजी बढ़ाने की योजना हो. निदेशक मंडल से अपेक्षा की जाएगी कि वह आवश्यकतानुसार रणनीतिक योजना में समय पर अद्यतन करें.

4.3 पूंजी प्रबंधन के परिणामों की समीक्षा

निदेशक मंडल, वर्ष में कम से कम एक बार, यह मूल्यांकन और प्रलेखीकरण करेगा कि बैंक द्वारा कार्यान्वित पूंजी प्रबंधन नीति से संबंधित प्रक्रियाओं ने बोर्ड द्वारा परिकल्पित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। वरिष्ठ प्रबंधन को प्रमुख मान्यताओं की संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने और बैंक की अनुमानित भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं की वैधता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से रिपोर्ट की प्राप्ति और समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे मूल्यांकन के आलोक में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतर्निहित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके, पूंजी प्रबंधन में उचित बदलाव किए जाने चाहिए।

4.4 दूरदर्शी दृष्टिकोण

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूंजी प्रबंधन का परिणाम दूरदर्शी हो (अर्थात् न्यूनतम तीन वर्षों के अनुमान पर विचार किया जाए) न कि स्थिर पूंजी लक्ष्य हो, पूंजी प्रबंधन नीति में एक दूरदर्शी दृष्टिकोण में भविष्य की वित्तीय जरूरतों का अनुमान लगाना और पर्याप्त पूंजी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तदनुसार योजना बनाना शामिल है। इसमें संभावित जोखिमों और अवसरों का आकलन करना, रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करना और भविष्य के व्यापार विकास और स्थिरता का समर्थन करने के लिए पूंजी संसाधनों के आवंटन और उपयोग को अनुकूलित करने के उपायों को लागू करना शामिल है। इस दृष्टिकोण में आम तौर पर भविष्य के नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी करना, निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करना, ऋण स्तर का प्रबंधन करना और भविष्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए तरलता के उचित स्तर को बनाए रखना शामिल है।

4.5 जोखिम आधारित दृष्टिकोण

पूंजी प्रबंधन नीति तैयार करने में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण में विभिन्न प्रकार के जोखिमों का आकलन और प्रबंधन शामिल होते हैं, जिनका कंपनी सामना कर सकती है, जैसे कि क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम। इस दृष्टिकोण में, बैंक अपने जोखिम एक्सपोजर की पहचान और मूल्यांकन करता है, जोखिम सहनशीलता का स्तर निर्धारित करता है, और संभावित नुकसान को अवशोषित करने के लिए उचित पूंजी बफर स्थापित करता है। नीति में बैंक की वित्तीय स्थिति और पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षण शामिल हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, जोखिम शमन रणनीतियों को इसमें लागू करना शामिल हो सकता है, जैसे कि निवेश का विविधीकरण, हेजिंग तकनीक और अप्रत्याशित नुकसान को कवर करने के लिए अलग से भंडार निर्धारित करना।

समग्र रूप से, यह लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए संभावित जोखिमों और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखें.

4.6 दबाव परीक्षण और इसका उपयोग

पूंजी प्रबंधन के भाग के रूप में, बैंक प्रबंधन, न्यूनतम, आवधिक रूप में प्रासंगिक दबाव परीक्षण आयोजित करेगा, विशेष रूप से बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, ताकि कुछ अप्रत्याशित लेकिन प्रशंसनीय घटनाओं के लिए बैंक की संभावित भेद्यता का मूल्यांकन किया जा सके. बाजार की स्थितियों में होने वाले उतार-चढ़ाव का बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. दबाव परीक्षण ढांचे का उपयोग बैंक के प्रबंधन को विषम परिस्थितियों में बैंक के संभावित जोखिम को बेहतर रूप से समझने का अवसर प्रदान कर सकता है.

इस संदर्भ में इससे संबंधित जारी दिशा-निर्देशों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है. बैंकों से आवश्यक उपाय प्रदान करने का आग्रह किया जाता है जिससे दबाव परीक्षणों और विश्लेषणों के परिणामों को, जहां लागू हो, पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन में शामिल किया जा सके.

5. वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की भूमिकाएँ और दायित्व

पूंजी नियोजन प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशकों को इस पर भरोसा करना चाहिए कि वे किस सीमा तक बैंक की व्यावसायिक रणनीति और पूंजी की स्थिति में अप्रत्याशित बदलावों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं.

सुदृढ़ अभ्यास में वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पूंजी नीति और संबंधित निगरानी और वृद्धि प्रोटोकॉल उचित जोखिम रिपोर्टिंग और तनाव परीक्षण ढांचे के साथ प्रासंगिक बने रहें.

बैंक में पूंजी प्रबंधन नीति तैयार करने में, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं और इन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

निदेशक मंडल

- **रणनीतिक दिशा निर्धारित करना:** बोर्ड बैंक के लिए समग्र रणनीतिक दिशा निर्धारित करता है, जिसमें उसके पूंजी प्रबंधन उद्देश्य और जोखिम उठाने की क्षमता शामिल है.

- *नीति ढांचे को मंजूरी:* बोर्ड पूंजी प्रबंधन नीति ढांचे को मंजूरी देता है, जो पूंजी प्रबंधन के लिए सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है.
- *निरीक्षण और समीक्षा:* बोर्ड रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और जोखिमों के प्रबंधन में पूंजी प्रबंधन नीति की प्रभावशीलता का निरीक्षण और समय-समय पर समीक्षा करता है.
- *अनुपालन सुनिश्चित करना:* बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि बैंक पूंजी पर्याप्तता और पूंजी प्रबंधन प्रथाओं से संबंधित नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है.
- *जोखिम निरीक्षण:* बोर्ड पूंजी पर्याप्तता से संबंधित सहित बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की देखरेख करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि उचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं मौजूद हैं.

वरिष्ठ प्रबंधन

- *कार्यान्वयन:* बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी प्रबंधन नीति को लागू करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन जिम्मेदार है
- *जोखिम मूल्यांकन:* जोखिम मूल्यांकन: वरिष्ठ प्रबंधन क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम सहित पूंजी-संबंधित जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए चल रहे जोखिम मूल्यांकन करता है.
- *पूंजी नियोजन:* वरिष्ठ प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए पूंजी नियोजन रणनीतियों को विकसित और क्रियान्वित करता है कि बैंक अपनी व्यावसायिक गतिविधियों और नियामक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजी स्तर बनाए रखता है.
- *रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण:* वरिष्ठ प्रबंधन बोर्ड, नियामकों और अन्य हितधारकों को पूंजी पर्याप्तता और संबंधित जोखिमों पर रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है. इसमें वित्तीय रिपोर्ट और नियामक फाइलिंग में सटीक और समय पर खुलासे प्रदान करना शामिल है.
- *निगरानी और समीक्षा:* वरिष्ठ प्रबंधन स्थापित लक्ष्यों के मुकाबले बैंक की पूंजी स्थिति और प्रदर्शन की निगरानी करता है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करता है. इसमें पूंजी आवंटन, पूंजी जुटाने की गतिविधियों या जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को समायोजित करना शामिल हो सकता है.

कुल मिलाकर, बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन एक मजबूत पूंजी प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए मिलकर काम करते हैं जो बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित होता है, नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, और पूंजी से संबंधित जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है. बोर्ड और प्रबंधन की विस्तृत भूमिका और जिम्मेदारियाँ अनुबंध I में दी गई हैं.

6. आंतरिक सीमाओं का विकास एवं प्रसार

बैंकों को पूंजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए की सभी जोखिमों को सही से लेखाबद्ध किया जाए. बैंक हेतु पूंजी प्रबंधन नीति को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय, आंतरिक सीमाओं का विकास एवं प्रसार एक अहम भूमिका निभाता है. बैंकों को पूंजी के लिए जोखिम वहन क्षमता और इसकी सीमा हेतु फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए जो तुलन पत्र और आरडबल्यू के उपयोग पर कड़ी सीमा निर्धारित करता है. इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:

जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क की स्थापना

- कारक, जैसे - व्यवसाय रणनीति, जोखिम सहने की क्षमता, विनियामक आवश्यकताओं, और बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता को परिभाषित करना.
- बैंक के उद्देश्यों और मूल्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए जोखिम वहन क्षमता के निर्माण में निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन और मुख्य हितधारकों को शामिल करना.

प्रमुख पूंजी प्रबंधन मैट्रिक्स की पहचान करना

- प्रमुख मैट्रिक्स और संकेतक निर्धारित करना जिनका उपयोग पूंजी पर्याप्तता की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाएगा, जैसे कि पूंजी अनुपात, तरलता उपाय, लीवरेज अनुपात और जोखिम-भारित आस्तियां.
- इन मैट्रिक्स का चयन करते समय विनियामक आवश्यकताओं, उद्योग की उत्कृष्ट प्रथाओं और बैंक की विशिष्ट जोखिम प्रोफाइल पर विचार किया जाए.

आंतरिक सीमाओं का निर्धारण करना

- जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क और निर्धारित मैट्रिक्स के आधार पर, पूंजी प्रबंधन के प्रत्येक प्रमुख पहलू हेतु आंतरिक सीमा निर्धारित करना.
- यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक की जोखिम प्रोफाइल, व्यावसायिक गतिविधियों और रणनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सीमाएं स्पष्ट, मापने योग्य और लागू करने योग्य हैं.
- सुदृढ़ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञों, वित्तीय क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों और संबंधित हितधारकों को शामिल करें.

आंतरिक सीमाओं का दस्तावेजीकरण

- पूंजी प्रबंधन नीति और अन्य संबन्धित नीति के दस्तावेजों में आंतरिक सीमाओं का दस्तावेजीकरण करना.
- प्रत्येक सीमा के पीछे के मूल कारण, उनकी निगरानी और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया और सीमाओं के उल्लंघन के परिणामों को सटीकता से स्पष्ट करना.
- यह सुनिश्चित करना कि दस्तावेज, संस्थान के सभी संबंधित हितधारकों के लिए उपलब्ध हो जिसमें बोर्ड के सदस्य, वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधक, और फ्रंट लाइन स्टाफ शामिल हैं.

आंतरिक सीमाओं का संचार एवं प्रसार

- सम्पूर्ण संस्थान में आंतरिक सीमाओं को प्रभावी रूप से प्रसारित करने के लिए संचार योजना को विकसित करना.
- आंतरिक सीमाओं और बैंक के संचालन पर उनके प्रभाव पर स्टाफ सदस्यों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएँ आयोजित करना.
- संस्थान के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए आंतरिक मेमो, प्रशिक्षण सामग्री, इंटरनेट पोर्टल और टाउन हॉल बैठकों जैसे विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करें.
- आपसी ताल मेल और खरीदारी (बाइ-इन) सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ सदस्यों से मुक्त संवाद करने, और उन्हें फीडबैक प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करें.

अनुप्रवर्तन, समीक्षा और समायोजित करना

- आंतरिक सीमाओं के अनुपालन को पता करने और किसी भी उल्लंघन या अपवादों की पहचान करने के लिए सुदृढ़ अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया लागू करना.
- आंतरिक सीमाओं का नियमित रूप से समीक्षा करना जिससे पूंजी से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन और कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनके प्रभाव का आंकलन किया जा सके.
- बैंक की जोखिम प्रोफाइल, विनियामक आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों या व्यावसायिक कार्यनीति में बदलाव के आधार पर आवश्यकतानुसार आंतरिक सीमाओं को समायोजित करने के लिए तैयार रहना.

इन उपायों का पालन करके, बैंक अपनी पूंजी प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में प्रभावी रूप से आंतरिक सीमाओं को डिजाइन और कार्यान्वित कर सकत है, जो की जोखिम का विवेकपूर्ण प्रबंधन और कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करेगा.


7. पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क का विकास

चालू वर्ष और अगले 3 वर्षों हेतु बैंक की व्यावसायिक रणनीति का संरेखण पूंजी प्रबंधन प्रक्रिया के साथ किया जाना चाहिए. आगामी पूंजी आवश्यकताओं का आंकलन करना, पूंजी पर इष्टतम प्रतिलाभ प्राप्त करना और विभिन्न चैनलों में पूंजी आवंटित करना पूंजी प्रबंधन में शामिल है. बैंक द्वारा जोखिम वहन क्षमता, पूंजी पर आंतरिक सीमाएं, व्यापक पूंजी नियोजन प्रक्रिया और पूंजी पर्याप्तता का आंकलन स्थापित करते हुए पूंजी प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए.

पूंजी प्रबंधन बैंक के प्रबंधन और निर्णय लेने की परंपरा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए.

चालू वर्ष और अगले 3 वर्षों हेतु बैंक की व्यावसायिक रणनीति का संरेखण पूंजी प्रबंधन प्रक्रिया के साथ किया जाना चाहिए. बैंक की व्यावसायिक रणनीति उसके लाभ, निवल आय, ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि, जमा राशि में वृद्धि के लक्ष्यों पर आधारित हो सकती है. वैकल्पिक रूप से बैंक लाभप्रदता अनुपात का पता लगा सकते हैं, जैसे इक्विटी पर प्रतिलाभ, कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ, औसत कार्यशील निधि पर प्रतिलाभ आदि. बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यनीतिक योजना को बैंक द्वारा पूंजी प्रबंधन निर्णयों के अनुरूप होना चाहिए.

कार्यनिष्पादन के आंकलन के साथ बैंक की कार्यनीति, पूंजी बजटिंग और पूंजी आवंटन के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु चक्र नीचे दर्शाया गया है:



पूंजी के प्रबंधन में भविष्य के दृष्टिकोण के साथ पूंजी आवश्यकताओं के मूल्यांकन, पूंजी पर प्रतिलाभ और विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूंजी के आवंटन से संबंधित पहलू शामिल हैं.

पूंजी प्रबंधन के साथ रणनीति का संरेखण

पूंजी बजटिंग

पूंजी नियोजन

पूंजी पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन

7.1 पूंजी बजटिंग

बैंक अपने रणनीतिक योजनाओं को विस्तृत पूंजी बजट में परिवर्तित करते हैं। एक बैंक की रणनीतिक योजना, कार्यनीति निर्धारित करती है जैसे की कहाँ वृद्धि करना है, किन व्यवसायों को कम करना है और कहाँ रणनीतिक निवेश करना है जिससे भविष्य और लाभप्रद विकास सुरक्षित किया जा सके।

7.2 पूंजी नियोजन

वे बैंक जिनके पास सुव्यवस्थित पूंजी नियोजन प्रक्रिया है उनके पास उन स्थितियों की पहचान करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया होनी चाहिए जहां प्रतिस्पर्धी धारणाएँ बनाई जाती हैं। पूंजी नियोजन प्रक्रिया में आंतरिक पूंजी का कितना स्तर बनाए रखना है कि योजना, पूंजी की संरचना, पूंजी जुटाने के तरीके, पूंजी का आवंटन और पूंजी का उपयोग शामिल है। योजना प्रक्रिया में शेयरधारक/सदस्यों को अधिशेष के वितरण की योजना भी शामिल है।

बैंक की पूंजी योजना, बैंक की वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं के आंतरिक रूप से सुसंगत और स्पष्ट दृष्टिकोण को दिखाने के सुदृढ़ प्रक्रिया की ओर लक्षित होना चाहिए। पूंजी नियोजन प्रक्रिया, पूंजी की अधिकतम स्तर निर्धारित करने के लिए पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाती है।

पूंजी नियोजन प्रक्रिया को बैंक के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को दर्शाना चाहिए, जिसमें व्यवसाय, जोखिम, वित्त और ट्रेजरी विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

पूंजी योजना में शामिल किए जाने वाले प्रमुख घटक:

1. बैंक की व्यावसायिक रणनीति का सारांश.
2. अगले पाँच वर्षों हेतु व्यवसाय, लोकल बाज़ार और आर्थिक परिप्रेक्ष का विवरण.
3. तुलन पत्र एवं लाभप्रदता का विश्लेषण.
4. ऋण, ब्याज दर, तरलता, मूल्य, परिचालन, अनुपालन, रणनीतिक और प्रतिष्ठा सहित प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं का आंकलन.
5. लाभांश और पूंजी पर्याप्तता सहित प्रमुख पूंजी नीतियों का सारांश.
6. पूंजी का स्रोत , लागत और उपलब्धता.

पूंजी के स्तर को बनाए रखने के लिए एक आंतरिक रणनीति विकसित करें जो न केवल जोखिम कवरेज के स्तर को दर्शाए अपितु पोर्टफोलियो के वृद्धि की संभावनाओं , निधियों के आगामी स्रोत एवं उपयोग और लाभांश नीति जैसे कारकों को भी शामिल करे. कितनी पूंजी अपने स्वामित्व में रखनी चाहिए इस संबंध में बैंक को अपने उद्देश्य बताने चाहिए. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि पूंजीगत उद्देश्य विनियामक की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक हो, जो जोखिमों के दौरान सहायता करें, इसके लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाए:

- क.** व्यवसाय के सामान्य चलन के दौरान गतिविधियों के प्रकार और उनकी संख्या में परिवर्तन एवं जोखिम एक्सपोजर के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात में उतार-चढ़ाव.
- ख.** जुटाई गई पूंजी की लागत, विशेषतः उन परिस्थितियों में जहाँ त्वरित रूप से पूंजी सुलभ कराया जाना है या ऐसे समय में जब बाज़ार की स्थिति प्रतिकूल है.
- ग.** ऐसी घटना में न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकताओं और विनियामक कार्रवाइयों का संभावित उल्लंघन.
- घ.** जोखिम आंकलन अवसंरचना और पद्धतियों में सीमाएं.

अनुबंध II में पूंजी नियोजन प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है.

7.3 पूंजी पर्याप्तता

बदलती हुई रणनीतिक दिशा, उभरती हुई आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय पारिस्थितिकी में अस्थिरता पर ध्यान देने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण जोखिमों के समक्ष पर्याप्त पूंजी न केवल किसी एक समय अपितु समय के साथ हो.

उदाहरण के लिए, बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता को पूंजी गणना के परिणामों पर आधारित करना चुन सकते हैं (जैसा कि पूंजी नियोजन प्रक्रिया में किया जाता है) जिसमें अलग से मूल्यांकित विशेष एवं महत्वपूर्ण जोखिमों (जैसे क्रेडिट जोखिम, परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम, आदि) हेतु अतिरिक्त पूंजी के साथ सम्मिलित करके मौजूदा पूंजी के स्तर में जोड़ा जाता है।

8. आंतरिक नियंत्रण एवं अभिशासन

8.1 पूंजी के आंतरिक विनियामन हेतु प्रणाली

बोर्ड द्वारा उन मामलों या घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है और जिन्हें अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वरिष्ठ प्रबंधन बिना किसी देरी के ऐसे किसी भी मामले में उन्हें रिपोर्ट करेंगे जिससे पूंजी प्रबंधन पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो।

बोर्ड को नियमित रूप से और समय से निम्नलिखित मामलों के उचित मूल्यांकन एवं निर्णय की शुरुवात करना चाहिए:

- प्रमुख जोखिमों के स्तर एवं प्रवृत्ति और बैंक की पूंजी पर उनका प्रभाव।
- पूंजी की परिभाषा एवं पूंजी प्रबंधन द्वारा कवर किए जाने वाले जोखिमों की सीमा निर्धारित करने और ऐसे जोखिमों के मूल्यांकन करने की पद्धतियाँ
- बैंक के व्यवसाय की मात्रा एवं प्रकृति और इसके जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता की स्थिति।
- पूंजी स्तर, उद्देश्यों और जोखिम प्रोफाइल के मध्य सामंजस्य।
- पूंजी योजनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता।

8.2 स्वतंत्र विधिमान्यकरण

बैंक नियमित स्वतंत्र विधिमान्यकरण के लिए पूंजी योजनाओं और उनकी अंतर्निहित प्रक्रियाओं और मॉडलों को एक्सपोज़ करना शामिल कर सकता है। समीक्षा की यह परत यह पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रक्रियाएँ सुदृढ़ हैं, लगातार लागू होती हैं और बैंक के व्यवसाय मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक रहती हैं।

8.3 आंतरिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों एवं आंतरिक लेखापरीक्षा योजना का विकास

बोर्ड एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग का गठन करेगा जो पूंजी प्रबंधन के संबंध में लेखापरीक्षित किए जाने वाले मामलों की सही से पहचान करेगा, ऐसे दिशानिर्देश विकसित करेगा जो आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षा के विषयांतर्गत मामलों को निर्दिष्ट करने हेतु दिशानिर्देशों का विकास और एक आंतरिक लेखापरीक्षा योजना एवं ऐसे दिशानिर्देशों और योजना को बनाएगा.

आंतरिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों या आंतरिक लेखापरीक्षा योजना में निम्नलिखित मामलों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा और इन मामलों का उचित रूप से लेखापरीक्षा करने के लिए एक प्रणाली प्रदान किया जाएगा:

- पूंजी प्रबंधन प्रणाली के विकास की स्थिति.
- पूंजी आवश्यकताओं पर नियमन के तहत बैंक की पूंजी की पात्रता.
- पूंजी प्रबंधन नीति और पूंजी प्रबंधन सीमाओं के अनुपालन की स्थिति.
- आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की उपयुक्तता, जोखिम प्रोफाइल तथा व्यवसाय की मात्रा और प्रकृति के अनुरूप है.
- आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन पद्धति (तकनीक, पूर्वानुमान) की वैधता.
- आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले डेटा की सटीकता और संपूर्णता.
- दबाव परीक्षणों में उपयोग किए जाने वाले परिदृश्यों आदि की वैधता
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना की प्रक्रिया की उपयुक्तता.
- आंतरिक लेखा परीक्षा में या आखरी किए गए निरीक्षण के अवसर पर इंगित मामलों के सुधार की स्थिति.

बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

क. निदेशक मंडल की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ

- इसे पूंजी प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, और यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा न करने पर रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधाएँ आ सकती हैं।
- इसे पूंजी प्रबंधन से संबंधित एक नीति (जिसे इसके बाद से “पूंजी प्रबंधन नीति” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) स्थापित करनी चाहिए तथा संपूर्ण बैंक में उसे प्रसारित करना चाहिए।
- इसे एक पर्याप्त पूंजी प्रबंधन तंत्र की स्थापना की निगरानी करनी चाहिए, और साथ ही इन्हें पूंजी पर्याप्तता के आकलन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण तकनीकों की पूरी समझ होनी चाहिए।
- यह बैंक की पूंजी प्रबंधन नीति को अनुमोदित करने तथा उसकी आवधिक समीक्षा करने हेतु जिम्मेदार होगा।
- इसके पास पूंजी के प्रबंधन की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- यह बैंक की जोखिम वहन-क्षमता के अनुसार सीमाओं का निर्धारण करेगा।
- यह बैंक की पूंजी प्रबंधन नीति का निर्णय लेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही हो।
- यह बैंक की वर्तमान, और बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्यगत पूंजी आवश्यकता का विश्लेषण करेगा, तथा यथा निर्धारित पूंजी के इच्छित स्तर, उस इच्छित स्तर को प्राप्त करने हेतु आवश्यक पूंजी की राशि, तथा उपयुक्त पूंजी जुटाने की विधियों को ध्यान में रखेगा।
- यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल तथा उसके व्यवसाय से संबंधित स्थिति के साथ पूंजी प्रबंधन की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
- यह एक प्रबंधन दल का गठन करेगा जो यह प्रदर्शित करने हेतु जिम्मेदार होगा कि एक पूंजी प्रबंधन नीति का अनुसरण बैंक को वित्तपोषण का तत्काल एकसैस रखने में, तथा लेनदारों तथा अन्य समकक्षों के प्रति उसके दायित्वों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करेगा, और सामान्य एवं दबावग्रस्त परिदृश्यों में एक ऋण मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

ख. वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

- बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूंजी प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा।

- वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो बैंक कार्मिक पूंजी प्रबंधन गतिविधियों में शामिल हैं, उनके पास जटिल वित्तीय जोखिम प्रबंधन कौशल सहित पर्याप्त कौशल हो, तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाए.
- वह यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास उन महत्वपूर्ण जोखिमों की पर्याप्त समझ हो, जो व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं, और साथ ही उनके पास उभरते हुए जोखिमों तथा कमजोरियों के प्रति जागरूकता हो.
- वह प्रासंगिक नीतियों, प्रक्रियाओं, तंत्रों तथा नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे.
- वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वह संपूर्ण बैंक में आंतरिक नियंत्रणों, और लिखित नीतियों एवं प्रक्रियाओं को प्रसारित करेंगे.
- वह बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन-क्षमता तथा सीमाओं के अनुसार जोखिम एक्सपोजरों का अनुप्रवर्तन करेंगे.
- वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड दोनों, सामान्य और दबावग्रस्त, व्यवसाय स्थितियों में जोखिम प्रबंधन तथा पूंजी प्रबंधन से संबंधित पर्याप्त जानकारी प्राप्त करे.
- वह बोर्ड के समक्ष आईकैप (आईसीएएपी) से संबंधित अनुप्रवर्तन तथा रिपोर्टिंग की स्थिति प्रस्तुत करेंगे.
- आईकैप से संबंधित जोखिम प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण तथा अनुपालन की भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से आलेखित होनी चाहिए.

पूँजी आयोजना प्रक्रिया की व्याख्यात्मक रूपरेखा

1. पूँजी आयोजना प्रक्रिया

बोर्ड अपनी पूँजी प्रबंधन नीति में पूँजी योजनाएँ विकसित करेगा, जिससे बैंक द्वारा लक्ष्यित उपयुक्त पूँजी स्तर की प्राप्ति की जा सके.

2. विषयवस्तु

पूँजी आयोजना प्रक्रिया में निम्नलिखित खंड होने चाहिए:

- I. कार्यपालक सारांश
- II. पृष्ठभूमि
- III. मौजूदा और संभावित वित्तीय और पूँजीगत स्थितियों का सारांश
- IV. पूँजी आयोजना हेतु विधियाँ और पूर्वानुमान
- V. समुच्चयन तथा विविधीकरण

I. कार्यपालक सारांश

कार्यपालक सारांश का उद्देश्य पूँजी आयोजना प्रक्रिया और परिणामों का एक विवरण प्रस्तुत करना है. इस विवरण में सामान्यतः निम्नलिखित मदें शामिल होंगी:

क) इस रिपोर्ट का उद्देश्य तथा बैंकिंग समूह के भीतर विनियमित इकाइयाँ, जो पूँजी आयोजना प्रक्रिया के तहत कवर किए गए हों.

ख) पूँजी आयोजना प्रक्रिया के मुख्य निष्कर्ष हैं:

- i. न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता की तुलना में कितनी आंतरिक पूँजी, और उस पूँजी का कौन से संघटन पर बैंक को विचार करना चाहिए.

ii. बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की पर्याप्तता.

ग) बैंक के वित्तीय स्थिति का सारांश, जिसमें बैंक की रणनीतिक स्थिति, उसके तुलन-पत्र की सुदृढ़ता, तथा भविष्यगत लाभप्रदता शामिल होंगी.

घ) पूंजी जुटाने और लाभांश योजना का संक्षिप्त विवरण, जिसमें बैंक आने वाले दिनों में अपनी पूंजी का प्रबंधन कैसे करना चाहता है और किन उद्देश्यों के लिए करना चाहता है, शामिल होंगी.

ङ) बैंक जिन सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों के संपर्क में है, जोखिम के स्तर को स्वीकार्य क्यों माना जाता है या, यदि ऐसा नहीं है, तो क्या कम करने वाली कार्रवाइयों की योजना बनाई गई है, उन पर टिप्पणी.

च) उन प्रमुख मुद्दों पर टिप्पणी, जहाँ अनुवर्ती विश्लेषण और निर्णयों की आवश्यकता है.

छ) आकलन किसने किया है, इसे कैसे चुनौती दी गई है/ सत्यापित किया गया है/ दबाव परीक्षित किया गया है, और किसने इसे अनुमोदित किया है.

II. पृष्ठभूमि

यह खंड बैंक का प्रासंगिक संगठनात्मक और ऐतिहासिक वित्तीय आँकड़ों, परिचालन लाभ, कर-पूर्व लाभ, कर-पश्चात् लाभ, लाभांशों, हितधारक की निधियों, विनियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध संरक्षित पूंजी निधियों, ग्राहक जमाराशि, बैंक की जमाराशि, कुल आस्तियों, तथा उन निष्कर्षों को कवर करता है, जो आँकड़ों के रुझान से निकाला जा सकता है और जिसका बैंक के भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है.

पूंजी की परिभाषा

इस आलेख में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है कि इसमें जो भी प्रस्तुत किया गया है, वह न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक पूंजी राशि पर बैंक की दृष्टिकोण को दर्शाता है, या वह उस राशि को दर्शाता है, जो बैंक के दृष्टिकोण से व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है. उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि आवश्यक पूंजी में रणनीतिक प्रयोजनों हेतु बफर शामिल है, या वह विनियामक आवश्यकताओं के उल्लंघन की संभाव्यता को कम करने का लक्ष्य रखती है.

यदि बैंक अपने आंतरिक पूंजी परिभाषा के लिए स्व-विनियामक निधियों का उपयोग प्रारंभिक बिन्दु के रूप में करता है, तो यह अपेक्षित है कि आंतरिक जोखिम घटकों का एक बड़ा भाग कॉमन इक्विटी टीयर 1 (सीईटी1) स्व-निधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाए.

तथापि, आबंटन के प्रयोजन के लिए बैंक विनियामक प्रयोजनों हेतु सीईटी1 पूंजी की गणना की प्रक्रिया में विशेष सरलीकरण समायोजन कर सकता है. उन समायोजनों का एक उदाहरण विनियामक फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट समान कटौतियों का उपयोग नहीं करना या आबंटित सीईटी1 पूंजी की गणना करते समय बिल्कुल भी कोई कटौती नहीं करना है.

III. मौजूदा और आयोजित वित्तीय और पूंजी स्थितियों का सारांश

यह खंड बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति तथा मौजूदा व्यवसाय प्रोफ़ाइल में संभावित परिवर्तनों, संभावित परिचालन वातावरण, उसकी प्रक्षेपित व्यवसाय योजनाओं (उपयुक्त व्यवसाय व्यवस्थाओं के अनुसार), प्रक्षेपित वित्तीय स्थिति, तथा भविष्यगत योजनाबद्ध पूंजी के स्रोतों की व्याख्या करेगा.

संदर्भित प्रारंभिक तुलन-पत्र तथा आकलन करने की तिथि इंगित होनी चाहिए.

प्रक्षेपित वित्तीय स्थिति में परिकल्पित व्यवसाय योजनाओं पर आधारित उपलब्ध प्रक्षेपित पूंजी तथा प्रक्षेपित पूंजी आवश्यकताएँ शामिल होंगी. इसके बाद ये एक आधार प्रदान कर सकेंगे जिसके विरुद्ध प्रतिकूल परिदृश्यों की तुलना की जा सके.

IV. पूंजी आयोजना हेतु विधियाँ तथा पूर्वानुमान

ऐसे विविध दृष्टिकोण हैं जो पूंजी आयोजना प्रक्रिया हेतु बैंक द्वारा अपनाए जा सकते हैं. प्रमुख पूर्वानुमानों सहित पूंजी के आकलन तथा आयोजना हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विधि का विवरण प्रदान किया जाए.

जोखिम-भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) आधारित

जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताएँ बैंकों के आरडब्ल्यूए पर आधारित पूंजी की उस राशि को निर्दिष्ट करती है, जो बैंकों के पास होनी चाहिए. बैंकों द्वारा अतिरिक्त सीईटी1 पूंजी का रखरखाव किया जाए, जिससे दबावग्रस्त स्थितियों में उनकी पूंजी स्थितियों में गिरावट को कवर किया जा सके.


आरडब्ल्यूए-आधारित दृष्टिकोण के तहत जिस सीईटी1 पूंजी की राशि का रखरखाव किया जाना है, वह उनके आरडब्ल्यूए उपयोग के आधार पर निर्धारित किया जाता है. इस दृष्टिकोण का लाभ उपयोगिता में आसानी तथा पारदर्शिता है. चूंकि बैंक पहले ही व्यक्तिशः आस्तियों तथा एक्सपोजरों के सूक्ष्म स्तर पर आरडब्ल्यूए की गणना करते हैं, तथा उनके पास सुस्थापित आरडब्ल्यूए रिपोर्टिंग क्षमताएँ हैं, आरडब्ल्यूए स्वयं को एक आबंटन तंत्र के लिए अच्छी

तरह से उधार देते हैं जिसे संगठन के सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है। बैंकों के समग्र इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) तथा कुल आस्तियों पर प्रतिफल (आरओटीए) के तहत निर्धारित लक्ष्यों के साथ उत्पाद/ क्षेत्र प्रतिफल को आसानी से संरेखित किया जा सकता है।

बैंकों द्वारा आरडब्ल्यूए का प्रयोग उनके पूंजी आबंटन फ्रेमवर्क हेतु एक एकल मेट्रिक के रूप में, या अन्य विनियामक मेट्रिक के साथ के साथ सम्मिलित रूप में किया जा सकता है। जो बैंक आरडब्ल्यूए को एक एकल मेट्रिक के रूप में प्रयोग करते हैं, उनमें से कुछ बैंक अपनी जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताओं के केवल न्यूनतम घटक को व्यवसाय व्यवस्थाओं को आबंटित करने हेतु चुनते हैं। अन्य ने अपनी विनियामक पूंजी आवश्यकताओं, यानी पूंजी बफर सहित, के सभी घटकों को आबंटित करने का चयन किया है। इसका लक्ष्य व्यवसाय व्यवस्थाओं को उन विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के संपूर्ण समूह हेतु जिम्मेदार बनाना है, जिनकी बैंकों द्वारा प्राप्ति की जानी है।

बैंकों द्वारा उनकी व्यवसाय रणनीति के भाग के रूप में एक लक्ष्यित सीईटी1 पूंजी अनुपात का निर्धारण किया जाता है। एक लक्ष्य पूंजी अनुपात उस पूंजी अनुपात का स्तर है जिसे बैंक सामान्य स्थितियों में अनुरक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं। वे इस लक्ष्यित अनुपात का निर्धारण करने हेतु आंतरिक परिचालन बफर के साथ-साथ विनियामक पूंजी बफर सहित जोखिम-आधारित सीईटी1 आवश्यकताओं के सभी घटकों को ध्यान में रखते हैं। आंतरिक परिचालन बफर एक अतिरिक्त पूंजी बफर है, जो बाजार संबंधी कारकों के कारण इक्विटी पूंजी में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के कारण विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से नीचे गिरने से बचने के लिए बैंकों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चित्र 1 एक उदाहरण दर्शाता है, जिसमें एक बैंक आरडब्ल्यूए का प्रयोग सीईटी1 पूंजी आबंटित करने हेतु एक एकल मेट्रिक के रूप में करते हैं। इस उदाहरण में, हमने सरलता के लिए यह माना है कि बैंक का सीईटी1 लक्ष्य पूंजी अनुपात आरडब्ल्यूए का 10% है।



यह लक्ष्य पूंजी अनुपात बैंक जिन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे आरडब्ल्यू पर लागू होता है, जिससे उन्हें आबंटित सीईटी1 पूंजी का निर्धारण किया जा सके. यदि किसी क्षेत्र द्वारा उपभोग की गई आरडब्ल्यू ₹100 है तथा उसके द्वारा जेनेरेट किया गया लाभ ₹2 है, तो आबंटित सीईटी1 पूंजी ₹10 ($₹100 \times 10\%$) होगी तथा आबंटित पूंजी पर प्रतिफल 20% ($₹2/₹10 \times 100$) होगा.

इस दृष्टिकोण का प्रयोग करने का लाभ इसकी पारदर्शिता, तथा आरओई/ आरओसीई/ आरओटीए हेतु बैंक-वार लक्ष्य के साथ इसकी संबद्धता (लिंगेज) है. तथापि, यदि बैंक के पास उसकी आरडब्ल्यू-आधारित आवश्यकता की तुलना में सीईटी1 पूंजी की अत्यधिक उच्चतर मात्रा है, तो उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए आबंटित सीईटी1 पूंजी पर लक्ष्य प्रतिफल को समायोजित करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक-वार आरओई लक्ष्य की प्राप्ति की जाए.

V. एकत्रीकरण तथा विविधिकरण

यह खंड विभिन्न पृथक जोखिम आकलनों के परिणामों को एक साथ लाने की प्रक्रिया, तथा पूंजी पर्याप्तता पर लिए गए समग्र दृष्टिकोण की व्याख्या करेगा. अतः तकनीकी स्तर पर इसमें किसी विधि की आवश्यकता होगी, जो कुछ समुचित मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग कर विभिन्न जोखिमों को जोड़ सके. व्यापक स्तर पर विस्तृत प्रमात्रीकरण दृष्टिकोणों की समग्र तर्क संगति की तुलना पूंजी आयोजना के विश्लेषण, तथा उपयुक्त माने गए पूंजी के समग्र स्तर पर वरिष्ठ प्रबंध द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के परिणामों के साथ की जा सकती है.

एक समग्र आकलन करने के दौरान बैंक को यह परिभाषित करना चाहिए कि उसने निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक पूंजी का समग्र आकलन कैसे किया:

- i) किसी मॉडलिंग दृष्टिकोण में अंतर्निहित अनिश्चितता.
- ii) बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, प्रणालियों या नियंत्रणों में कमजोरियाँ.
- iii) विनियामक पूंजी तथा आंतरिक पूंजी में भिन्नताएँ.
- iv) पूंजी के विभिन्न प्रयोजन: हितधारक का प्रतिफल, संपूर्ण बैंक हेतु, या बैंक द्वारा जारी किए गए विशेष ऋण लिखतों हेतु रेटिंग उद्देश्य, विनियामक हस्तक्षेप को टालना, अनिश्चित घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा, जमाकर्ता सुरक्षा, कार्यशील पूंजी, रणनीतिक अधिग्रहण हेतु रखी गई पूंजी, आदि.